श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 11.11.2013 को "विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मुंगेर" के अभियंताओं के साथ समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक की कार्यवाही :-

---

उपस्थिति :- यथा पंजी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व सम्पन्न साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बिन्दुवार प्रदत्त निदेशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए उपस्थित सभी अभियंताओं को निम्नलिखित निदेश दिये गये :-

1. कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर को निदेश दिया गया कि तारकर्मी, पर्यवेक्षक एवं संवेदक के नियोजन हेतू प्राप्त आवेदनों की संविक्षोपरान्त 07 पर्यवेक्षकों एवं 37 तारकर्मियों का नियुक्ति पत्र दिनांक 13.11.2013 को उपलब्ध कराने के लिए सारी प्रक्रियाएँ पूर्ण करेंगे।
2. गत बैठक में प्रदत्त निदेश के अनुपालन के क्रम में सफियाबाद में 10MVA का उपलब्ध कराए गए ट्रांसफॉर्मर का अधिष्ठापन अब तक नहीं हो पाने के कारण पुनश्च कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, मुंगेर को निदेश दिया गया कि उक्त ट्रांसफॉर्मर के installation हेतु सक्षम पदाधिकारी से वार्त्ता कर कार्य पूर्ण कराएँ।
3. पूर्व बैठक में निदेश दिया गया था कि नवम्बर माह के प्रथम सप्ताह तक फीडरवार विद्युत विपत्र तैयार करते हुए वसूली की जाए ताकि फीडरवार वसूली के समानुपात में विद्युत आपूर्ति की जा सके। इसके अनुपालन की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि जिले के कुल 29 फीडरों में से अधिकांश विद्युत अभियंता द्वारा फीडरवार वसूली संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस निमित्त पुनश्च निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता अभिरूचि लेते हुए संबंधित विद्युत अभियंताओं से माह सितम्बर, 2013 तक फीडरवार मांग एवं वसूली से संबंधित प्रतिवेदन एक सप्ताह में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे। विदित हो कि वर्तमान में जिला में कुल 29 फीडर कार्यरत् हैं जिसमें मुंगेर में 10, जमालपुर में 12, तारापुर में 04 एवं खड़गपुर में 03 फीडर हैं।
4. विद्युत बिल जमा लेने की सुगम व्यवस्था के दृष्टिगत् सेवानिवृत्त कर्मियों को संविदा के आधार पर नियोजित कर सेवा लिए जाने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त कर नियोजन की कार्रवाई यथीशघ्र पूर्ण कराने का निदेश कार्य0 अभि0, मुंगेर को पूर्व सम्पन्न बैठक में दिया गया था जिसकी समीक्षा से स्पष्ट होता है कि कार्य की प्रगति काफी नगण्य है। अतएव निदेश दिया गया कि विशेष रूचि लेते हुए इस कार्य को पूर्ण करें।
5. विद्युत अनुमंडल मुख्यालय को छोड़कर बरियारपुर, धरहरा, असरगंज, संग्रामपुर एवं टेटियाबंबर प्रखंड में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रखंड मुख्यालय भवन/कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी की सहायता से सुविधानुसार एक कमरे, कुर्सी, टेबुल इत्यादि की अधियाचना कर विद्युत कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करते हुए विद्युत बिल जमा लेने एवं नए कनेक्शन हेतू आवेदन पत्र लेने हेतू काउण्टर अधिष्ठापित करने का निदेश पूर्व सम्पन्न बैठक में संबंधित कनीय अभियंताओं को दिए जाने के बावजूद कार्य में प्रगति नहीं होना, उनकी कार्य क्षमता को दर्शाता है। अतः कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि अपनी देख-रेख में हर हाल में दिनांक 18.11.13 से उक्त पांचों प्रखंड

मुख्यालय भवन/कार्यालय में काउण्टर की शुरूआत की जाए। संबंधित कनीय अभियंता इस कार्य हेतू विशेष रूप से जवाबदेह होंगे।

6. कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि जिले में कार्यान्वित मीटर रीडिंग एजेन्सी में कार्यरत् कर्मियों की संख्या यथावत् है, जो निम्न है :-

Sl. No.	Block	Meter Reading Agency	working employee
1	Munger	6	30
2	Jamalpur	6	24
3	Tarapur	3	12
4	Kharagpur	1	10
Total		**16**	**76**

पुनः निदेश दिया गया कि मीटर रीडिंग एजेन्सी एवं कार्यरत् कर्मियों के कार्यो की समीक्षा नियमित रूप से की जाए, ताकि मीटर रीडिंग की संख्या में अपेक्षित बढ़ोतरी के साथ शत-प्रतिशत लक्ष्य अर्जित की जा सके।

7. दिनांक 03.10.2013 को मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना की सम्पन्न बैठक में सभी माननीय विधायको, वार्ड पार्षदों से प्राप्त पुराने एवं नये ट्रांसफॉर्मरों के अधिष्ठापन कराए जाने वाले स्थलों की सूची अनुमोदित करते हुए कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराने के बावजूद कार्य की प्रगति शून्य है। अतएव कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि उपलब्ध कराए गए सूची के आधार पर 16KVA तथा 25KVA के बदलने वाले ट्रांसफॉर्मरों के स्थलों को चिन्हित करते हुए उन स्थलों पर आवश्यकतानुसार 63KVA अथवा 100KVA के ट्रांसफॉर्मर का प्राक्कलन तैयार कर राशि की मांग करें।

8. 10,000/- रूपये से उपर कुल 15421 विद्युत विपत्र बकायेदार उपभोक्ताओं के विरूद्ध विद्युत संबंध विच्छेद की कार्रवाई में तेजी लाने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया।

9. निर्णय लिया गया कि चेंकिंग के दौरान संज्ञान में आए गलत तरीके से बिजली चलाने वाले उपभोक्ताओं तथा विद्युत से संबंधित नीलाम पत्र वाद में सन्निहित राशि की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक, मुंगेर को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से अनुरोध किया जाए।

10. **Reconducturing:-** विद्युत कार्यपालक अभियंता द्वारा जानकारी दी गई कि इस माह के अन्त तक 24KM ही Reconducturing का कार्य किया जा सका है। सभी सहायक विद्युत अभियंताओं को निदेश दिया गया कि अधिक से अधिक Reconducturing किया जाए। आश्वस्त किया गया कि नवम्बर माह के द्वितीय पाक्षिक तक लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। कार्य के धीमी प्रगति पर खेद प्रकट करते हुए गुणात्मक वृद्धि लाने का निदेश दिया गया।

11. समीक्षा के दौरान स्पष्ट हुआ कि जिला जनता दरबार में लगातार विद्युत उपभोक्ताओं ने यह शिकायत की है कि विद्युत उपयोग के अनुरूप विद्युत बिल न देकर बढ़ा हुआ बिल दे दिया जाता है तथा संबंधित कार्यालयों में संशोधन हेतु आवेदन पत्र समर्पित करने के बावजूद त्रुटि का निराकरण नहीं कर पुनः बढ़ा हुआ ही बिल दिया जाता है जिसके कारण काफी परेशानी उठानी पड़ती है। इसी क्रम में बैठक में उपस्थित प्रभारी पदाधिकारी, जिला जनशिकायत कोषांग, मुंगेर द्वारा भी अवगत कराया गया कि जिला जनता दरबार से भेजे गए आवेदनों के विरूद्ध निष्पादन प्रतिवेदन भी प्राप्त नहीं होता है जो दुःखद है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि उपरोक्त

समस्याओं के निराकरण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् सर्वप्रथम जिला जनता दरबार से भेजे गए आवेदनों का निष्पादन करते हुए प्रगति प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराएँ।

12. विद्युत connection लेने वाले नए उपभोक्ताओं की सुगमता हेतु समय-समय पर शिविर लगाने का निदेश दिया गया।

13. कार्यपालक अभियंता, विद्युत को निदेश दिया गया कि वे मीटर रीडिंग सीट की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में देंगे ताकि इस आशय की जाँच की जा सके कि Table Reading तो नहीं किया जा रहा है।

14. शहरी क्षेत्रों, यथा- मुंगेर, जमालपुर, तारापुर एवं खड़गपुर में 100% मीटर रीडिंग एवं नए कनेक्शन दिए जाएँ। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही मान्य नहीं होगा।

15. दिनांक 23.11.13 को होने वाली लोक अदालत में विद्युत से संबंधित नीलाम पत्र वादों को रखते हुए, इन्हें निष्पादित करने का सार्थक प्रयास सभी स्तर के अभियंता सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

11/XI/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2314 /गो0, दिनांक 13/11/2013

प्रतिलिपि : अधीक्षण अभियंता, विद्युत/कार्य0अभि0 विद्युत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्य0अभि0, विद्युत आपूर्ति, अंचल, मुंगेर इसकी प्रति अपने स्तर से सभी संबंधितों को उपलब्ध करायेंगे।

प्रतिलिपि : विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मुंगेर/नीलाम पत्र पदाधिकारी, मुंगेर/ प्रभारी पदाधिकारी, जिला जनशिकायत कोषांग, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/XI/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 2314 /गो0, दिनांक 13/11/2013

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लि0, विद्युत भवन बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/XI/13

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।